

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :-13/25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

एयू स्मॉल फायनेंस बैंक लि.  
प्लॉट नम्बर 39, शान्तिवन पांचवी  
मंजिल, 11 वी रोड़, सरदारपुरा,  
जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी  
श्री मोहन राम

- राम निवास पुत्र फुसाराम  
नान्दिया जाजरा, ओसियां, नान्दिया  
खुर्द, जिला जोधपुर
- हरमन राम पुत्र फुसाराम  
तारडों की ढाणिया, नान्दिया जाजडा,  
जिला जोधपुर
- रामूराम पुत्र कालूराम  
तारडों की ढाणी, नान्दिया जाजडा,  
जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन  
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक:-01-05-2025

1-चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का  
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण  
राम निवास पुत्र फुसाराम व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा  
अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 11,63,225/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा  
पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण 1. रामूराम 2. फुसाराम की जायदाद 1. पट्टा नम्बर 4,  
मिसल नम्बर 14/2017-18, ग्राम नान्दिया जाजडा, बावडी जिला जोधपुर जिसका  
कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज 2. पट्टा नम्बर 5, मिसल नम्बर 15/2017-18, ग्राम  
नान्दिया जाजडा, बावडी जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, 1.  
जिसके उत्तर में घर का निकाल, दक्षिण में पुराना की भावना में पुराना की भावना में  
पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण 1. रामूराम 2. फुसाराम का बाडा एवं पुराना की भावना में पुराना की भावना में  
जिसके उत्तर में घर का निकाल, दक्षिण में पुराना की भावना में पुराना की भावना में



Signature valid

Digitally signed by Chandra Singh Rathore, Designation: District Magistrate, Date: 2025.05.01 14:48:15, Reason: Approved

रामूराम पुत्र कालूराम का प्लॉट एवं पश्चिम में आम रास्ता आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 10.11.2022 तक 11,87,383/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 11,63,225/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 10.11.2022 तक 11,87,383/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ड्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद 1. रामूराम 2. फुसाराम की जायदाद 1. पट्टा नम्बर 4, मिसल नम्बर 14/2017-18, ग्राम नान्दिया जाजडा, बावडी जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज 2. पट्टा नम्बर 5, मिसल नम्बर 15/2017-18, ग्राम नान्दिया जाजडा, बावडी जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज. 1. जिसके उत्तर में घर का निकाल, दक्षिण में पंचायत की आबादी भूमि, पूर्व में रेवतराम पुत्र कुम्बाराम का बाडा एवं पश्चिम में फुसाराम पुत्र हरीराम का प्लॉट आया हुआ, 2.जिसके उत्तर में घर का निकाल, दक्षिण में पंचायत की आबादी भूमि, पूर्व में रामूराम पुत्र कालूराम का प्लॉट एवं पश्चिम में आम रास्ता आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।



आदेश आज दिनांक 01-05-2025 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Gajav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.05.01 17:41:46 IST  
Reason: Approved

Page 2 of 2